ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00176

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 76/2017

1. फकीर सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति बांवरी निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

1. गुरमेल सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. ताराचन्द पुत्र झूताराम जाति चमार निवासी बोदीवाला , तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब)
3. श्री तार पुत्र श्री बलवन्त जाति माजी निवासी हुसण तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब)
4. जलो पुत्री तारो पुत्री मंगल सिंह जाति बांवरी निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजी निर्णय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर दिनांक 28.08.2017 प्रकरण संख्या 19/2016 अन्तर्गत धारा 183 बी राज. काश्त. अधि. अनवानी मंगल सिंह बनाम गुरमेल सिंह वगैरा जिसकी रूह से प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलान्ट निरस्त फरमाया गया, बमुराद मन्सूखिया अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित :
1. श्री दिनेश छाबड़ा , अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री राजेश गुम्बर, अधिवक्ता, रेस्पो. सं0–2
3. श्री थावर दास सेठी अधिवक्ता रेस्पो. संख्या–4
4. रेस्पोडेन्ट संख्या –1 एक्स पार्टी आदेश

:: आदेश :: **दिनांक :–19.05.2026**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि तहसीलदार सादुलशहर के चक 22 के.एस.डी. का पत्थर नम्बर 80/109 , मुरब्बा नम्बर 37 का किला नम्बर 22 ता 24 , पत्थर नम्बर 79/110 , मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 4,6,7 ता 17, 25 पत्थर नम्बर 80/110 , मुरब्बा नम्बर 46 का किला नम्बर 2 ता 4, 9 ता 12, 19 ता 22 एवं पत्थर नम्बर 80/111 , मुरब्बा नम्बर 57 का किला नम्बर 1 व पत्थर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 79/111, मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 4 व 5 कुल 6.325 हैक्टेयर रकबा जीवों के आधार पर अपीलांट के पिता मंगल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति बांवरी निवासी गदरखेड़ा को आवंटित हुआ था। बरवक्त आवंटन मंगल सिंह स्वयं , उसकी पत्नी भागो , पुत्री तारो एवं पुत्री श्यामों के नाम बेसिक रजिस्टर में दर्ज है।

2. यह कि मंगल सिंह पिता अपीलांट , भागो माता अपीलांट एवं तारो तथा श्यामो का देहान्त हो चुका है। तारो की पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 4 एकमात्र वारिस है। अपीलांट विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते प्रार्थना पत्र एवं मौजूदा अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकारी है।
3. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुरमेल सिंह द्वारा दिनांक 14.04.2008 को अपीलांट के कब्जा काश्त की उक्त वर्णित अपीलाधीन कृषि भूमि में से तहसील सादुलशहर के चक 22 के.एस.डी. का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 6 में 0.063 हैक्टर, 7 में 0.063 हैक्टर, 14 ता 17 , 25 एवं मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 4 व 5 तादादी कुल 1.897 हैक्टर रकबा पर जबरन कब्जा कर लेने के कारण एवं इसी सन्दर्भ में पटवारी हल्का की रिपोर्ट होने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के अधीन दर्ज कर नोटिस जारी किये गये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा उक्त वर्णित 1.897 हैक्टर भूमि जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का अवैध कब्जा होने के कारण बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष चाहा।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट से भिन्न अपने आपको उक्त वर्णित भूमि से कोई सरोकार ना होना कथन करते हुए 10 बीघा भूमि ताराचन्द द्वारा खरीद किया जाना कथन किया एवं ताराचन्द द्वारा सन् 1970 में भूमि खरीद करना कथन किया एवं इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा सन् 1971 में 10 बीघा भूमि ताराचन्द से खरीद करना कथन करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से साक्ष्य स्वरूप अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं पटवारी रिपोर्ट तथा मौका तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट प्रमाणित था कि ताराचन्द एवं श्री तार औपचारिक नाम है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा खड़े किये गये है जबकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर जाहिरा तौर से कब्जा स्वर्ण जाति के व्यक्ति का प्रमाणित था ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त महज क्यास के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए निर्णय जेर अपील पारित कर दिया जिसकी नाराजी से निम्न वजूवात पर अपील प्रस्तुत की जा रही है।

माकूल वजूवात

1. यह कि निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि निर्णय जेर अपील विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत एवं बिना सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये अथवा विवेचन किये पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि निर्णय जेर अपील महत क्यास के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को सर्वथा नजर अन्दाज किया जाकर पारित किया गया है जो हर कानूनी व वाकेआती बिन्दुओं पर निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु पटवारी रिपोर्ट एवं गिरदावर की रिपोर्ट से प्रमाणित था कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति का व्यक्ति काबिज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर निणर्य जेर अपील पारित करने में अहत कानूनी भूल की है।
5. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–3 महज रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के खड़े किये हुए व्यक्ति है जिनका कोई स्वयं का वजूद नहीं है एवं इनकी आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 जो कि स्वर्ण जाति का व्यक्ति है , मौका पर अपीलांट जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है की भूमि पर काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 के आपसी विवाद अथवा बैयनामा के सम्बन्ध में दायर किये गये किसी भी दीवानी वाद से प्रकरण हाजा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता था एव ना ही ऐसे किसी निर्णय का कोई प्रभाव अधीनस्थ न्यायालय पर प्रार्थना पत्र को विधिसम्मत् गुणावगुण पर निर्णित करने में था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से दीवानी वाद के निर्णय के अधीन प्रार्थना पत्र का निर्णय होगा, अंकित कर निर्णय जेर अपील पारित करने में अहम कानूनी भूल की है जो कि निर्णय जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारीयों की रिपोर्ट को नकार कर यह तथ्य अंकित करने में अहम कानूनी भूल की है कि गुरमेल सिंह का कब्जा साबित करने में नाकाम रहे है जबकि रिपोर्ट अनुसार एवं स्वयं गुरमेल सिंह की स्वीकारोक्ति से उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा गुरमेल सिंह स्वर्ण जाति के व्यक्ति का होना प्रमाणित था ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित था कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति के काबिज होने के कारण वह धारा 183 बी आरटीएक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत बेदखली का भागी था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर निर्णय जेर अपील पारित करने में अहम कानूनी भूल की है।
7. यह कि निर्णय जेर अपील स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है। कथित बैयनामाजात प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज है जो निर्णय का कतई आधार नहीं हो सकते है।

लिहाजा अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील दिनांकित 28.08.2017 सव्यय निरस्त फरमाया जावें एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलांट अन्तर्गत धारा 183 बी आर. टी.एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/अपीलांट को उसकी भूमि का

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा अतिक्रमी को बेदखल कर दिलवाये जाने का आदेश पारित किये जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधीवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता को उक्त भूमि अलॉट हुई थी, लेकिन वह जीवों के आधार पर अलॉट नहीं हुई थी। उक्त भूमि का मंगल सिंह मालिक था जिसे उक्त विवादित आराजी को अकेले उपयोग , उपभोग , रहन, बैय करने का पूरा अधिकार था। उक्त विवादित भूमि पर गुरमेल सिंह दिनांक 14.04.2008 या अन्य किसी तारीख को कभी कोई कब्जा नहीं किया और न ही कभी गुरमेल सिंह का उक्त आराजी पर काश्त रही है। अपीलांट के पिता मंगल सिंह द्वारा उक्त विवादित भूमि को अपने जीवन काल में दिनांक 01.04.1970 को अप्रार्थी ताराचन्द को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान करके कब्जा सौंप दिया था। अप्रार्थी ताराचन्द उक्त आराजी पर बैयनामा के रोज से आज तक लगातार बिना किसी बाधा के ऐलानिया तौर पर पहले मंगल सिंह व उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान प्रार्थी फकीर सिंह व अन्य की देखा देखी लगातार शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 183 बी प्रस्तुत कर गैर अनुसूचित जाति के गुरमेल सिंह का कब्जा दर्शाकर मुझ अप्रार्थी की आराजी से गैर कानूनी तरीके से कब्जा आराजी प्राप्त करना चाहता है जो कतई न्यायोचित नहीं है। कब्जा आराजी आज भी मुझ अप्रार्थी के पास है। अपीलाट व रेस्पोडेन्ट दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है। अपीलांट झूठे तथ्यों के आधार पर मुझ अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करना चाहता है। अपीलांट के पिता मंगल सिंह के विधिक एव जायज वारिसान तारोदेवी, श्यामा देवी पुत्रीया व फकीर सिंह पुत्र है लेकिन अपीलांट ने जानबूझकर मंगल सिंह की दोनो पुत्रीयायें को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारान के असंयोजन के कारण काबिले खारिजी है। अतः अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस निम्नानुसार प्रस्तुत कि :–

1. यह कि पटवार हल्का चक 22 के.एस.डी. तहसील सादुलशहर की रिपोर्ट पर माननीय तहसीलदार महोदय ने धारा 183 बी आरटीए का नोटिस अप्रार्थी गुरमेल सिंह को दिया। फकीर सिंह प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में यह दर्शाया कि मंगल सिंह जो कृषि भूमि का काश्तकार था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। फकीर सिंह ,मंगल सिंह का वारिस है। फकीर सिंह ने माननीय न्यायालय में विधिक रूप से धारा 183 बी आरटीए का प्रार्थना–पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से यह निवेदन किया कि मंगल सिंह के नाम से चक 22 केएसडी के मुरब्बा नम्बर 37,45,46,57,58 की 6.325 हैक्टर कृषि भूमि है जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आरटीए में दर्ज है। उक्त भूमि मंगल सिंह व मंगल सिंह की पत्नी व मंगल सिंह की दो लड़कियों को जीवों के आधार पर आवंटित की गई थी जिसमें मंगल सिंह का 1/4 हिस्सा था। मंगल सिंह प्रार्थी फकीर सिंह का पिता है। उक्त भूमि अकेले मंगल सिंह के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। प्रार्थी फकीर सिंह अपने पिता के नाम की कृषि भूमि को काश्त करता आ रहा है, लेकिन गुरमेल सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा ने चक 22 केएसडी के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6 की 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 07 की 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर , किला नम्बर 25 की 0.253 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 4,5 की 0.506 हैक्टर कुल 1.897 हैक्टर रकबा पर दिनांक 14.04.2008 को कब्जा गैर कानूनी तरीके से कर लिया था। प्रार्थी ने गुरमेल सिंह को कहा कि उसकी उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लेवे ओर उक्त जमीन मुझ प्रार्थी को सौंप देवें। लेकिन गुरमेल सिंह ने कब्जा नहीं हटाया, तब प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आरटीए का पेश किया ओर यह निवेदन किया कि गुरमेल सिंह जो स्वर्ण जाति का व्यक्ति है, उसको प्रार्थी की जमीन से बेदखल किया जाकर कब्जा मुझ प्रार्थी को दिलवाया जावें। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है। गुरमेल सिंह उक्त मुकदमें में उपस्थित आकर यह कथन किया कि ताराचंद को मंगल सिंह ने दिनांक 01.04.1970 को जमीन बेचान कर दी ओर यह निवेदन किया कि उसका उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है ओर अप्रार्थी गुरमेल सिंह ने तारांचद को पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। तत्पश्चात् राजस्व मण्डल में रिवीजन दायर की गई जिसमें ताराचंद को पक्षकार बनाए जाने के आदेश दिये गये। ताराचंद ने उक्त भूमि का बेचान तार पुत्र बलवंत को कर दिया। ताराचंद के द्वारा जमीन का बेचान कर दिये जाने के पश्चात् तारांचद का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रहा। गुरमेल सिंह जो स्वर्ण जाति का व्यक्ति है उसने नुमाईशी तौर पर फर्जी दस्तावेज ताराचंद के नाम से तैयार करवाये थे लेकिन ताराचंद आज के रोज उक्त भूमि में कोई टाईटल नहीं रखता।

2. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा हल्का गिरदावर को भेजकर मौका की रिपोर्ट ली गई। मौका की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि गुरमेल सिंह पुत्र तार सिंह जाति जटसिख ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा कर रखा है। धारा 183 बी आरटीएक्ट अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये कृषि भूमि को सरंक्षण प्रदान करती है। फकीर सिंह की भूमि पर गुरमेल सिंह ने नाजायज कब्जा कर रखा है जिसको बेदखल किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी के हितो की सुरक्षा हो सके। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने हीरामाली बनाम मांगीलाल वगैरा 2015 डीएनजे पेज–111 में यह अभिनिर्धारित किया है कि गैरखातेदार भूमि बेचने के लिये सक्षम नहीं है। गैरखातदार द्वारा किया गया विकय विलेख प्रारम्भ से ही शून्य है। इसमें मियाद लागू नहीं होती। इस प्रकार गुरमेल सिंह या ताराचंद का यह कहना कि उसने मंगल सिंह से जमीन रखीद की है तो उक्त दस्तावेज शून्य दस्तावेज है क्योंकि भूमि आज भी राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के रूप में दर्ज है। राजस्व मण्डल अजमेर ने सैयद खान बनाम कृष्णलाल सांखला डीएनजे 2013 राजस्थान पेज 306 में यह अभिनिर्धारित की कि दोनो पक्षकार अनुसूचित जाति के हो तो भी धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पर अतिक्रमण करने वाले को बेदखल किया जा सकता है, इस प्रकार प्रार्थी की भूमि से अप्रार्थी गुरमेल सिंह को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि से अप्रार्थी गुरमेल सिंह को बेदखल किया जावें। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में ताज मोहम्मद बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अभिनिर्धारित किया है कि धारा 183 बी आरटीए केवल एक प्रार्थना पत्र है जिसमें सीपीसी के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है। इस प्रकार मामला संक्षिप्त विचारण का है। गुरमेल सिंह को प्रार्थी की भूमि पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है ना ही उसके पास में ऐसा कोई टाईटिल है। ताराचंद ने उक्त भूमि का फर्जी तौर पर रजिस्टर्ड बैयनामा करवाया था ओर उस फर्जी तौर पर बैयनामें के आधार पर उसने प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि का बेचान तार पुत्र बलवंत को कर दिया। भूमि का बेचान ताराचंद द्वारा कर दिये जाने के पश्चात् ताराचंद का प्रार्थना–पत्र की वर्णित भूमि में कोई अधिकार नहीं रहा। पटवारी गिरदावर की रिपोर्ट में यह कहीं नहीं आया कि प्रार्थना पत्र की वर्णित भूमि में तार पुत्र बलवंत का कब्जा है। इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि गुरमेल सिंह पुत्र अवतार सिंह ने फर्जी दस्तावेजो की सरंचना की है। ताराचंद व गुरमेल सिंह के पास प्रार्थना–पत्र की भूमि पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी की भूमि पर से गुरमेल सिंह का नाजायज कब्जा हटाया जाकर व उसको बेदखल किया जाकर कब्जा मुझ प्रार्थी को दिलवाया जावें। अप्रार्थी ने जो लिखित बहस पेश की है उसमें उन्होने यह दर्ज किया है कि तहसीलदार के द्वारा व फकीर सिंह के द्वारा अलग–अलग प्रार्थना पत्र दर्ज किये है लेकिन प्रार्थना–पत्रो का निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा एक साथ किया जा सकता है और माननीय न्यायालय द्वारा एक साथ ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर रहे है। अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में यह निवेदन किया है कि उक्त भूमि खरीदशुदा है लेकिन प्रार्थी यह निवेदन कर रहा है कि उक्त भूमि का न तो गुरमेल सिंह खरीददार है यदि ताराचंद को एक मिनट के लिये मान लिया जावें कि वह खरीददार है जिसको प्रार्थी नहीं मानता फिर भी ताराचंद ने उक्त जमीन का बेचान तार पुत्र बलवंत को कर दिया। इस प्रकार से अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरे इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित चक 22 केएसडी की 1.897 हैक्टर कृषि भूमि पर से अप्रार्थीगण को बदेखल किया जाकर कब्जा मुझ प्रार्थी को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी फकीरसिंह द्वारा उक्त अपील तहसीलदार सादुलशहर के प्रकरण संख्या 19/2016 अन्तर्गत धारा 183(बी) सअनवारी मंगल सिंह बनाम गुरमेल सिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2017 के विरूद्व पेश की गई है। तहसीलदार सादुलशहर का निर्णय दिनांक 28.08.2017 निम्नानुसार है :–

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन किया , माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 25.10.2016 का अध्ययन किया, प्रस्तुत साक्ष्यों, जवाब, रिपोर्ट पटवारी, रिपोर्ट गिरदावर एवं लिखित बहस का अवलोकन किया। मुताबिक रिकॉर्ड विवादग्रस्त भूमि (राष्ट्रपति भारत सरकार) मंगल सिंह वल्द सुन्दर सिंह जाति बांवरी साकिन गददरखेड़ा पु.आ. गैरखातेदार के नाम दर्ज है। विवादग्रस्त भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.04.1970 द्वारा ताराचन्द के पक्ष में मंगल सिंह वल्द सुन्दर सिंह जाति बांवरी द्वारा किया गया है। वर्तमान पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट का आधार भी यही बैयनामा है। इसी आधार पर विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी ताराचन्द का कब्जा काश्त होना अंकित किया है। गिरदावर हल्का ने अपनी रिपोर्ट में विरोधाभाषी स्थिति अंकित की है, परन्तु स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि ताराचन्द का कब्जा काश्त नहीं होकर अप्रार्थी गुरमेल सिंह का कब्जा काश्त है। गुरमेल सिंह के कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य एवं रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जबकि ताराचन्द के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा है। वकील प्रार्थी का कथन है कि ताराचन्द ने भूमि श्री तार पुत्र बलवन्त जाति मजहबी को दिनांक 15.07.1971 को बैय कर दी है। इस सम्बन्ध में साक्ष्य पेश हुआ कि उक्त बैयनामा दिनांक 15.07.1971 को निरस्त करवाने हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादुलशहर में विचाराधीन है, चूंकि भूमि गैर खातेदारी की है, बैयनामा दिनांक 15.07.1971 के सम्बन्ध में प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया है जिसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी। विवादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित आर.टी.ए. की धारा 183 बी का यह निर्णय माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादुलशहर के निर्णय के अध्यधीन होगा। रजिस्ट्री गैरखातेदारी भूमि की होने से रेकॉर्ड में अमलदरामद तो नहीं हो सकता , परन्तु कब्जा काश्त का ठोस आधार तो है, जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज सक्षम न्यायालय से खारिज नहीं हो जाता उसे फर्जी करार नहीं दिया जा सकता।

अतः समस्त विवेचन के आधार पर निर्णय किया जाता है कि प्रार्थी पक्ष विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी गुरमेल सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख का कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे है एवं अप्रार्थी संख्या–2 ताराचन्द पुत्र झूताराम जाति चमार का कब्जा काश्त साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) निरस्त किया जाता है।

तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.08.2017 में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.04.1970 से अप्रार्थी संख्या–2 ताराचन्द पुत्र झूताराम जाति चमार का कब्जा काश्त साबित होना माना है। माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश , सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने अपने नम्बरी दीवानी प्रकरण संख्या 43/2017 अनवानी बलवन्त सिंह–मुखत्यार सिंह पुत्रगण फकीर सिंह बनाम ताराचन्द वगैरा निर्णय दिनांक 23.09.2025 से उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ताराचन्द पुत्र बलवन्त राम के उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा को खारिज करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया है :–

फलतः वादीगण बलवन्त सिंह व मुखत्यार सिंह पुत्रगण फकीर सिंह , निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण ताराचन्द व अन्य बाबत् विक्रय पत्र विलेख के उत्सादन स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विवादित कृषि–भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 01.04.1970 निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित दस्तावेज विक्रय विलेख दिनांक 01.04.1970 की कृषि भूमि में वादी के उपयोग व उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करेगें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.08.2017 में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.04.1970 से अप्रार्थी संख्या–2 ताराचन्द पुत्र छुताराम जाति चमार का कब्जा काश्त साबित होना माना है से माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश , सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने अपने नम्बरी दीवानी प्रकरण संख्या 43/2017 अनवानी बलवन्त सिंह–मुखत्यार सिंह पुत्रगण फकीर सिंह बनाम ताराचन्द वगैरा निर्णय दिनांक 23.09.2025 से उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ताराचन्द पुत्र बलवन्त राम के उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा को खारिज कर दिया गया है जिससे तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुादलशहर को भेजी जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।